

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 04/2016 अ०मु०दी०
संस्थित दिनांक 03.02.2016

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र राजाराम उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम छरेंटा (करवास) पगरना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।
2. श्रीमती सुनीता पुत्री राजाराम, पत्नी बृन्दावन उम्र 22 वर्ष। निवासी ग्राम छरेंटा, हाल निवासी संजय नगर गदाई पुरा थाना हजीरा जिला ग्वालियर म०प्र०।

-----अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

राजाराम पुत्र रामभरोसे उम्र 70 वर्ष। निवासी ग्राम छरेंटा (करवास), परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।

-----रिस्पोडेन्ट/प्रतिवादी

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा श्री धमेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 26-03-2016 को पारित किया गया //

01. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत विविध सिविल अपील का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है जिसमें अपीलार्थीगण ने प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद पीठासीन अधिकारी श्री गोपेश गर्ग के द्वारा प्रकरण क्रमांक 13ए/2015 ई.दी. राजेन्द्रसिंह बनाम राजाराम में पारित आदेश दिनांक 19.01.2016 से व्यथित होकर वर्तमान अपील पेश की गई है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत

अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 निरस्त किया गया है ।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 व 4 सगे भाई बहन है और प्रतिवादी क्रमांक 1 उनके पिता है। अपीलार्थीगण को आगे के पदों में वादी/आवेदक तथा प्रतिअपीलार्थी को प्रतिवादी/अनावेदक के रूप में संबोधित किया जाएगा।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक/वादीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि मौजा छरेंटा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड के आराजी नम्बर 321 रकवा 0.20, आराजी न. 516 रकवा 0.08, आराजी न. 1765 रकवा 0.10 कुल किता 3 के हिस्सा 1/2 तथा आराजी न. 383 रकवा 0.09, आराजी न. 1245 रकवा 0.36 कुल किता 2 के सम्पूर्ण रकवा तथा आराजी न. 83 रकवा 0.99, आराजी न. 88 रकवा 0.93, आराजी न. 89 रकवा 0.42, आराजी न. 94 रकवा 0.10, आराजी न. 650 रकवा 1.35 कुल किता 5 के हिस्सा 121/379 का राजाराम प्रतिअपीलार्थी भूमि स्वामी अंकित है। वादीगण/अपीलार्थीगण तथा रामबीर, राजू व श्रीमती पपीता राजाराम के पुत्र है और विधि के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 2, 3, 4 को जन्म के साथ ही प्रतिवादी राजाराम की समस्त भूमि पर हक अद्भूत हो चुके है और हकों के अनुसार भूमि पुरानी पुरखों के समय की पूर्वजों की सम्पत्ति है जिस पर वादीगण को जन्म से 1/6, 1/6 भाग के हक राजाराम के जीवनकाल में ही प्राप्त हो चुके है और राजाराम के स्वर्गवास हो जाने के बाद समान भाग के उत्तराधिकारी है। प्रतिअपीलार्थी राजू व रामबीर के प्रभाव में रहने लगा है और उन्हें हिस्सा देने को तैयार नहीं है और सम्पूर्ण जमीन रामबीर व राजू को या उनकी पत्नियों को या उनके पुत्रों को अन्तरण करना चाहते है। जबकि उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी है जिसमें वादीगण को सहदायिकी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादीगण को दिनांक 15.05.2015 को धमकी दी कि तुम्हें भूमि के किसी भी हिस्से पर खेती नहीं करने देंगे और भूमि को विक्रय करेगा, जिस पर से वादीगण/अपीलार्थी के द्वारा स्वत्व की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत् वाद प्रस्तुत किया है और दावे के साथ प्रकरण के निराकरण तक भूमि का अंतरण न करने बावत् एवं आधिपत्य में हस्तक्षेप न करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने बावत् आवेदनपत्र भी पेश किया गया है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि के निर्माण के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

04. उक्त आवेदनपत्र के जबाब में प्रतिवादी/अनावेदक के द्वारा अपने जबाब में व्यक्त किया कि भूमि सर्वे क्रमांक 83, 88, 89, 94 और 650 की भूमियों में से 1/4 प्रतिवादी क्रमांक 1 राजाराम ने जरिए बिक्रयपत्र दिनांक 14.08.2002 को स्वयं क्रय किया है जो कि

उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। अन्य भूमि सर्वे क्रमांक 321, 516, 1765, 383, 1245 प्रतिवादी क्रमांक 1 को उसके पिता रामभरोसे के जीवनकाल में ही 35 वर्ष पूर्व ही मौखिक बटवारे के आधार पर हिस्से में प्राप्त हुई थी। उसके साथ उसके भाई विद्याराम और माँ दौजीबाई को पृथक से हिस्सा प्राप्त हुआ था और उन्हें पृथक से आधिपत्य दिया गया था और इस प्रकार बटवारे के उपरांत उक्त भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त होकर उसका उस पर एकाकी स्वामित्व एवं आधिपत्य निहित होना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभावशील होने से प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 व 4 को अपने जीवनकाल में उस पर कोई स्वत्व व हक प्राप्त नहीं होगा। उक्त सम्पत्ति का स्वरूप संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति या सहदायिकी सम्पत्ति का नहीं है और इस कारण प्रतिवादी 2 लगायत 4 को जन्म से उक्त सम्पत्तियों पर कोई अधिकार उत्पन्न होना भी नहीं कहा जा सकता है। वादी के पक्ष में किसी प्रकार से कोई प्रथम दृष्टिया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के तत्व नहीं हैं। इस प्रकार वादीगण/अपीलार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

05. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा बावत् आवेदनपत्र के संबंध में वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टिया प्रकरण नहीं पाया गया है और सुविधा का संतुलन व आपूर्तनीय क्षति के तत्व वादी के पक्ष में न पाते हुए आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

06. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा विधि विधान के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि प्रतिअपीलार्थी को अपने पिता रामभरोसे से विरासत में प्राप्त हुई है तथा उससे प्राप्त आय से अन्य भूमि क्रय की है जो कि विधि के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मानी जावेगी। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद व कटुता पैदा हो चुकी है यदि वादग्रस्त भूमि को अंतरण करने में निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रतिवादीगण कोई भी बनावटी आधार प्रकट कर भूमि अंतरण कर देंगे जिससे वादीगण का हक नष्ट हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 2, 3, 4 को संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य मानने में भी भूल की है, जबकि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र व पुत्री है। अतः प्रथम दृष्टिया मामला अपीलान्तरण के पक्ष में है तब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न होने से अपीलान्तरण को असहनीय क्षति हो रही है तथा सुविधा का संतुलन अपीलान्तरण के पक्ष में है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2016 को अपास्त करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

07. प्रतिअपीलार्थी/ प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित

रूप से होना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप किए जाने एवं फेर-बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

08. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.01.2016 को आवेदकगण/अपीलार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र निरस्त करने में वैधानिक भूल की गई है ?

// सकारण निष्कर्ष //

09. अपीलार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति का है एवं उक्त सम्पत्तियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 जो कि उनके पिता है के साथ उन्हें भी संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य निहित है। वर्तमान में पुत्री को भी सहदायिकी सम्पत्तियों में समान अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी दशा में जबकि आवेदक/अपीलार्थीगण क्रमांक 1 व 2 अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी क्रमांक 1 के पुत्र व पुत्री हैं उनके पक्ष में प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संतुलन है। स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में प्रथम दृष्टिया प्रमाणित न होना मानने में त्रुटि की गई है और इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र गलत रूप से निरस्त किया गया है।

10. प्रतिअपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्तियों का स्वरूप संयुक्त परिवार की सम्पत्ति अथवा सहदायिकी की नहीं है, बल्कि वादग्रस्त भूमियों में से कुछ भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा क्रय कर स्वअर्जित की गई है तथा कुछ भूमियाँ उसे पिता से बटवारे में प्राप्त हुई है जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को बटवारे में प्रथक से प्राप्त होने से उसका स्वरूप भी उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति का है। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्तियों का स्वरूप कभी भी सहदायिकी सम्पत्ति का नहीं रहा है, जबकि उसका स्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति का है और अपने जीवनकाल तक उसे उक्त सम्पत्तियों के संबंध में किसी प्रकार से निषेधित नहीं किया जा सकता है।

11. अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित आवेदनपत्र का निराकरण पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र तथा उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में मात्र शपथपत्रों के आधार पर

जो कि एक दूसरे के प्रतिखण्डन में पेश किए गए हैं कोई निष्कर्ष प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और प्रकृति के अनुसार नहीं निकाला जा सकता है। प्रकरण में प्रस्तुत अन्य प्रारंभिक दस्तावेजों के आधार पर विचार किया जाना उचित होगा।

12. वादग्रस्त भूमियों के संबंध में खसरा सम्बत् 2061-65 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक/वादी के द्वारा पेश की गई है, उसके अनुसार वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 321, 516, 1765 का 1/2 भाग पर अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 राजाराम तथा सर्वे क्रमांक 383, 1245 के सम्पूर्ण रकवे पर तथा सर्वे क्रमांक 83, 88, 89, 94, 650 के 121/379 भाग पर अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 राजाराम भूस्वामी के रूप में अंकित है। उक्त भूमियों में से सर्वे क्रमांक 83, 88, 89, 94, 650 का 1/4 भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा शांतिबाई से बिक्रयपत्र पर दिनांक 14.08.2002 के अनुसार क्रय किये जाने के संबंध में बिक्रयपत्र दिनांक 14.08.2002 की प्रति पेश की गई है और उक्त बिक्रयपत्र के आधार पर खसरे में शांतिबाई के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 राजाराम का 1/4 भाग पर नामांतरण स्वीकार किया गया है।

13. उपरोक्त सम्पत्तियों के अतिरिक्त सर्वे क्रमांक 321, 516, 1765 जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की माँ की भूमियाँ दौजीबाई के नाम पर भू-स्वामी के रूप में दर्ज है। इस संबंध में खसरा वर्ष 2056-60 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है जिसमें कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की माँ दौजीबाई के नाम पर उक्त खसरे नम्बर पर भूमियाँ दर्ज है और दौजीबाई के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 राजाराम के नाम पर उक्त भूमियाँ आई है जो कि खसरा नकलों से स्पष्ट होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा बताया गया यह तथ्य कि उसके पिता के द्वारा मौखिक विभाजन अपने जीवनकाल में कर दिया गया था और इस आधार पर उसे प्रथक से भूमियों का स्वत्व प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा क्रय की गई भूमियाँ संयुक्त परिवार की सम्पत्ति से क्रय की गई हो ऐसा भी कोई प्रारंभिक आधार होना प्रमाणित नहीं होता है।

14. वादी अधिवक्ता के द्वारा शिवरतन वि० कन्हैयालाल 1993 एम.पी.एल.जे. 367 पेश किया गया है जिसमें कि माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सहदायिकी सम्पत्तियों में पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में भी विभाजन के लिए वाद दायर कर सकता है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में वादग्रस्त सम्पत्तियाँ प्रारंभिक रूप से सहदायिकी की सम्पत्तियाँ होने का तथ्य प्रार्थमिक रूप से दर्शित नहीं होता है। ऐसी दशा में उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर वादी/अपीलार्थी के पक्ष में कोई अवधारणा नहीं की जा सकती है। वादी के द्वारा अन्य न्यायिक दृष्टांत क्रांति वि० पुनिया बगैरह पेश किया गया है जिसमें कि खसरा की प्रविष्टियों को अकाट्य माना जाने के संबंध में

अवधारित किया गया है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में खसराओं में कहीं भी वादीगण के नाम पर वादग्रस्त भूमि दर्ज हो ऐसा दर्शित नहीं होता है। खसरा के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्तियाँ संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति होने के तथ्य को प्रार्थमिक रूप से कोई बल नहीं मिलता है।

15. वादी के द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत शिवकुमार वि० मूलचन्द 1972 ए.आई.आर. 1972 पंजाब एवं हरियाणा 147 पेश किया गया है जिसमें कि संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों के विभाजन की आवश्यकता के संबंध में प्रावधान किया गया है एवं यह अवधारित किया गया है कि यदि बिक्रय किया जाना परिवार के हित में या विधिक आवश्यकता के लिए नहीं है तो कोई सहदायिकी इस संबंध में रोकने हेतु दावा पेश कर सकते हैं। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में वादग्रस्त सम्पत्तियाँ प्रारंभिक रूप से पैत्रिक सम्पत्ति होकर सहदायिकी की होनी दर्शित नहीं होती है, बल्कि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर पृथक से दर्ज होनी और उसे उसके द्वारा अर्जित एवं प्राप्त की गई होनी दर्शित होती है, ऐसी दशा में जबकि वादग्रस्त सम्पत्तियों पर पुत्र का विभाजन उपरांत हिस्सा प्राप्त होता है इस प्रकार की सम्पत्तियों का स्वरूप सहदायिकी सम्पत्तियों के नहीं रहती है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रारंभिक दस्तावेजों से विवादित सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक सम्पत्ति होनी दर्शित नहीं होती है।

16. विचारण न्यायालय के द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 558 युद्धिष्टर वि० अशोक कुमार तथा ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 1753 कमिशनर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर वि० चन्द्रसेन जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सहदायिकी सम्पत्ति का यदि विभाजन हो गया है तो उस सम्पत्ति का स्वरूप सहदायिकी सम्पत्ति का नहीं रहता है, बल्कि विभाजन उपरांत उसका स्वरूप स्वअर्जित सम्पत्ति का हो जाता है। वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वरूप संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति होना प्रारंभिक रूप से होना नहीं पाई गई है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में विचार करने के उपरांत आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टिया प्रकरण न पाए जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक या तथ्यात्मक त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है, बल्कि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं इस संबंध में वैधानिक स्थिति में उचित रूप से विचार करते हुए विचारण न्यायालय के द्वारा विचारित बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकालते हुए प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है।

17. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2016 में कोई वैधानिक व तथ्यात्मक

त्रुटि होना नहीं पाया जाने से उक्त आदेश दिनांक 19.01.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2016 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

18. आदेश की एक प्रतिलिपि के सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)